

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.86/2023	नम्बर व तारिख अहकाम इस हुकम कीतामिल में जारी हुए
25.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 (शांतिलाल पालीवाल पुत्र देवीलाल पालीवाल, जाति- ब्राह्मण, निवासी- दियाना, तहसील- गोगुन्दा, जिला- उदयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म नीलकमल रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड के पास, करौंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही) एवं प्रतिवादी संख्या-2 (आशीष अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन इण्डस्ट्रीज, एफ-83 रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही) के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 02.3.2022 को फर्म नीलकमल रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, करौंटी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी शांतिलाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1729 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./689/Act/2022/672 दिनांक 17. 3.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरूप नहीं की गई है। प्रतिवादी को जांच रिपोर्ट की प्रति भी नहीं भिजवाई, जिससे प्रतिवादीगण रेफरल लेब से नमूने के द्वितीय भाग की जांच कराने के अधिकार से वंचित रहे हैं। प्रतिवादी फर्म ने लेबल की त्रुटि में सुधार कर दिया। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 02.3.2022 को फर्म नीलकमल रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, करौंटी, तहसील-रेवदर, जिला- सिरौही में प्रतिवादी शांतिलाल पालीवाल से फर्म नीलकमल रेस्टोरेन्ट में रखे हुए खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) के 8 पैकड टिन (प्रत्येक 15 किलोग्राम) में से 1600 ग्राम खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह केलगातार</p>	



दिलीप सिंह यादव
जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.86/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1729 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./689/Act/2022/672 दिनांक 17.3.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) की निर्माता फर्म चेतन इण्डस्ट्रीज है, जो प्रतिवादी आशिष अग्रवाल की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए हैं, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) का विक्रय करके एवं प्रतिवादी आशिष अग्रवाल ने अमानक खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी शांतिलाल पालीवाल पुत्र देवीलाल पालीवाल, जाति- ब्राह्मण, निवासी- दियाना, तहसील- गोगुन्दा, जिला- उदयपुर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म नीलकमल रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड के पास, करौंटी, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही पर राशि रुपये 3,000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप व अमानक खाद्य पदार्थ आरबीडी पॉम ऑयल (चेतन ब्राण्ड) के विक्रय, निर्माण व पैकिंग हेतु प्रतिवादी आशिष अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म चेतन इण्डस्ट्रीज, एफ-83 रिक्को इण्डस्ट्रीयल एरिया, केसरपुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 7,000/- (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28.8.2023 को पेश हो।</p>	



(के.आर.खौड़)
ज.सि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.